रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 270] नई दिल्ली, शुक्रवार जून 21, 1974/ज्येष्ठ 31, 1896
No 270] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 1974/JYAISTHA 31, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st June 1974

S.O. 372(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Smt. Sita Devi, a member elected to the Council of States from Punjab before the expiration of her term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Punjab to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 12 July, 1974 (Friday).

[No. 100/CS-PB/4/74(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 21 जून, 1974

एस० ओ० 372 (अ).—यतः, पंजाब राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्रीमति सीता देवी की, अपनी पदावधि के अवसान के पूर्व, मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग पंजाब राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 12 जुलाई, 1974 (शुक्रवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर लें।

[सं० 100/रा० स०-पंजाब/4/74(1)]

S.O. 373(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-PB/4/74(I). dated the 21 June, 1974.

(a) 28 June, 1974 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) 29 June, 1974 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 1 July, 1974 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 8 July, 1974 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 12 July, 1974 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-PB/4/74(2)]

एस० ओ० 373 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-पंजाब/4/74(1) तारीख 21 जून, 1974 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

(क)	नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	28 जून, 1974 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	29 जून, 1974 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख	1 जुलाई, 1974 (सोमवार)
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा	8 जुलाई, 1974 (सोमवार)
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायगा	12 जुलाई, 1974 (शुक्रवार)

[सं० 100/रा० स०/पंजाब/4/74(2)]

S.O.374(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 03.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-PB/4/74(1), dated 21 June, 1974.

[No. 100/CS-PB/4/74(3)]

एस० ओ० 374 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०-पंजाब/4/74(1) तारीख 21 जून, 1974 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा० सं०-पंजाब/4/74(3)]

S.O. 375(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Punjab, hereby designates the Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-PB/4/74(1), dated the 21 June, 1974.

[No. 100/CS-PB/4/74(4)]

एस० ओ० 375 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, पंजाब सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं० पंजाब/4/74(1), तारीख 21 जून, 1974 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, चण्डीगढ़ को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा० सं०-पंजाब/4/74(4)]

S.O. 376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary (C), Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-PB/4/74(1), dated 21 June, 1974, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-PB/4/74(5)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 376(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-पंजाब/4/74(1) तारीख 21 जून, 1974 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए उप सचिव (सी०) पंजाब विधान सभा, सचिवालय, चण्डीगढ़ की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 100/रा० स०-पंजाब/4/74(5)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974